



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2016/वैशाख 29, 1938

No. 209]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2016/ VAISAKHA 29, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2016

**फा. सं. पी. 15025/6/2004-पीएफएस/एफएसएसआई.**—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण प्रस्तावित करती है, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उपधारा (1) द्वारा अपेक्षानुसार, उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन भवन, नई दिल्ली-110002 अथवा [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in) पर भेजे जा सकेंगे ;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत प्राप्त हों, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

**प्रारूप विनियम**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, विनियम 2.10 में, उपविनियम 2.10.1 में :-

(क) खंड (1) में मद (च) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

“(छ) आयरन फिलिंग (मि.ग्रा./कि.ग्रा.) : 150 से अनधिक।”

(ख) खंड (2) में मद (च) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

“(छ) आयरन फिलिंग (मि.ग्रा./कि.ग्रा.) : 150 से अनधिक।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./88]

**टिप्पण :** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा.सं.2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

- (i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- (iv) फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- (v) फा.सं. 1-83एफ/एससीआई पीएन-अधि/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (vi) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- (vii) फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (viii) फा.सं.पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (ix) फा.सं.पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (x) फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xi) फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015 और
- (xii) फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2016

**F. No. P.15025/6/2004-PFS/FSSAI-** The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, proposes to make with previous approval of the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) and clause (e) of Sub-Section (2) of Section 92 read with sub section (2) of Section

16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by the sub-section (1) of section 92, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of these draft regulations are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or sent on email at [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in).

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

#### Draft Regulations

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.10 in sub-regulations 2.10.1:-

(a) in clause 1, after item (f), the following item shall be inserted, namely:-

“(g) Iron Filings (mg/kg): Not more than 150.”

(b) in clause 2, after item (f), the following item shall be inserted, namely:-

“(g) Iron Filings (mg/kg): Not more than 150.”

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/Exty./88]

**Note.** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:-

- (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;
- (ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;
- (iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;
- (iv) F. No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014;
- (v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17th February, 2015;
- (vi) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;
- (vii) F. No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (viii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (ix) F. No P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
- (x) F. No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
- (xi) F. No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015 and
- (xii) F. No.1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016.